रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 1973/आषाढ़ 14, 1895

No 159] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 1973/ASADHA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PULIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th July 1973

SUBJECT.—*Export of cotton yarn from India from 1st July,* 1973.

No. 22-ETC(PN)/73.—In partial supersession of the Public Notice No. 11-ETC (PN)/73, dated 26th March, 1973, condition No. (i) in the aforesaid public notice is hereby substituted by the following:—

(i) Exports of all types of cotton yarn other than those specified below will be banned till 31st July 1973 or till such further time as the Central Government may, in public interest prescribe through Public Notice:—

(i) Cotton yarn in counts 17s and below;

(ii) Folded cotton yarn of 2 ply in counts 17s and below;

(iii) Folded cotton yarn of 3 ply and higher plies in all counts;

(iv) Blended yarn containing 10 per cent or more of man-made Cellulosic or non-cellulosic, natural silk or woollen fibre;

(v) Mixed yarn *i.e.* where the same bank or cone contains yarn of different counts; and

(vi) Hard waste.

Export of permissible types of cotton yarn will be subject to such limit as may be fixed by the Central Government. Exporters will be required to obtain a formal authorisation letter for shipment from the Cotton Textiles Export Promotion Council which will allocate quantities for export to exporters, having regard to the order in which they have registered their contracts with the Council and to the delivery terms stipulated in such contracts.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1973

विषय :—1 जुलाई, 1973 से भारत से कपास सूत का निर्यात।

संख्या 22 ई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—सार्वजनिक सूचना सं० 11–ई टी सी (पी एन)/73 दिनांक 26–3–1973 का आंशिक अतिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की शर्त संख्या (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है :—

(1) कपास सूत की नीचे निर्दिष्ट किस्मों से भिन्न सभी किस्मों के निर्यात 31–7–73 तक या आगे उस उसम तक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जनता के हित में निर्धारित किया जाए, प्रतिबन्धित रहेगा :—

(i) कपास सूत काउन्ट्स में 17 एस और इस से कम,

(ii) सप्लाई का तह किया हुआ कपास सूत काउन्ट्स मे 17 एस और इस से कम,

(iii) 3 और इस से अधिक प्लाइयों का तह किया हुआ कपास सूत सभी काउन्ट्स में,

(iV) सममिश्रित सूत जिस में 10 प्रतिशत या अधिक मानव–निर्मित सैल्यूलोज या गैर-सैल्युलोज, प्राकृतिक रेशम या ऊनी रेशा शामिल हो,

(V) मिश्रित सूत उदाहरणार्थ जहां एक ही किनार या शंकु में विभिन्न काउन्ट्स का सूत हो, और

(Vi) सख्त रद्दी।

कपास सूत की अनुमेय किस्मों का निर्यात उस सीमा के अधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाए। निर्यातकों को पोतलदान के लिए सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद से एक औपचारिक प्राधिकारण पत्र प्राप्त करना होगा। सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद उस आदेश को जिस में निर्यातकों ने अपनी संविदाएं परिषद के साथ पंजीकृत की है और संविदाओं में निर्धारित वितरण की शर्तों को ध्यान में रखते हुए निर्यातकों को निर्यात के लिए मात्रा का निर्धारण करगी।

एम० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973